

श्रीकानेर  
संस्थानिय आयुक्त



दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

की प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल  
स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड एवं आदेश  
PRESS करना चाहते हैं। अतः यह अपील अपीलान्त जसिये NOT PRESS इसी  
पैरवी नहीं होने के कारण इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं NOT  
विचारणीय है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार अभिभाषक अपीलान्त हिदायत  
हनुमानगढ के आदेश दिनांक 30.04.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में  
अवलोकन किया। यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
हमने अभिभाषक अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का

अभिभाषक अपीलान्त NOT PRESS के आधार पर खारिज कराना चाहते हैं।  
अभिभाषक इसमें आगे पैरवी नहीं करना चाहते हैं। अतः उक्त अपील  
कि उपरोक्त अनवान की अपील में आगे चलाने की हिदायत पैरवी नहीं है।  
अभिभाषक अपीलान्त ने हमारे समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है  
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। अभिभाषक अपीलान्त उपस्थित।  
आज यह पत्रावली अभिभाषक अपीलान्त श्री सुरेन्द्र कुमार सहू के द्वारा

9/3/2022

राजस्थान सरकार।

(बनाम)

हनुमानगढ।

महेंद्र पुत्र स्व. हंसराज निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला

अनवान:

न्यायालय संस्थानिय आयुक्त, श्रीकानेर  
अपील संख्या-13/2018 अंतर्गत धारा-18 शस्त्र अधिनियम

हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जल

दस्तावेज  
हुकम